फर्द अहकाम

महेन्द्र **बनाम** कृष्ण वगैरा

न्यायालय ACM (AD) Shahpura - Shahpura

संख्या 125/2024

दावा - 53,188

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के कथन से प्राप्त उर्दजात रिपोर्ट का अवलोकन कर दावा मुताबिक उर्दजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व उर्दजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्राप्त उर्दजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की एवं उर्दजात रिपोर्ट सही प्रतीत होती है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 125 / 2024

उनवान

1. महेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सहाय, जाति गुर्जर, उम्र—वयस्क, निवासी मनोहरपुर तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर
2. गजानन्द पुत्र छीतर जांगिड जाति खाती निवासी भूरानपुरा, तह. आमेर
3. नाथी देवी पत्नि स्व0 नानगराम जाति गुर्जर
4. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर
5. फूलचन्द पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
6. बद्रीनारायण पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर
7. बालूराम पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
8. मंजू पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर
9. मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर निवासी भूरानपुरा तह0 आमेर जयपुर
10. मामराज पुत्र नानगराम जाति गुर्जर
11. मालीराम पुत्र छीतर जाति खाती निवासी भूरानपुरा तह0 आमेर जयपुर
12. मालीराम पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
13. मोहित पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर
14. राजू पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
15. शंकर लाल पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
16. सुल्तान पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
17. सुवालाल पुत्र परता जाति गुर्जर

समस्त निवासीयान ग्राम मनोहरपुर तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर।

18. उपपंजीयक—शाहपुरा मनोहरपुर,तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0,शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री रामनिवास गुर्जर, वादी की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 5/3/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0– 8977/1433 रकबा 0.2052 कुल किता–1 कुल रकबा 0.2050 है० वाके ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का– मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी में वादी का 1423/3800 हिस्सा व प्रतिवादी सं०–1 का 401/34200 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–2 का 77/1026, प्रतिवादी सं0–3 का 55/2052 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–4 का 401/34200 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–5 का 385/12312 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–6 का 385/4104 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–7 का 385/12312 हिस्सा, प्रतिवादी सं०–8 का 401/34200 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–9 का 177/3800 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–10 का 55/2052 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–11 का 77/1026 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–12 का 713/22800 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–13 का 401/34200 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–14 का 385/12312 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–15 का 713/22800 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–16 का 713/22800 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–17 का 385/8208 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–1083 संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और बादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा हे। यहकि अभी 5 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेंगे तथा भूमि का बेचान करेंगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया और कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतों से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादी को प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधे पूला पानी पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीगण सं०–1 लगायत 17 उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादी को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–8977/1433 रकबा 0.2052 कुल किता–1 कुल रकबा 0.2050 है० वाके ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का–मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड (सरस नरस के आधार पर) राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0– 8977/1433 रकबा 0.2052 कुल किता–1

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

कुल रकबा 0.2050 है० वाके ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का–मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे जबकि वादी को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे, आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन बय हस्तान्तरण नही करे, आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण प्राथमिक डिक्री जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/862 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु वकील वादी सहमत है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0–8977/1433 रकबा 0.2052 कुल किता–1 कुल रकबा 0.2050 है० वाके ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का– मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क्र0सं0	नाम पक्षकार	विभाजित / हिस्से में आई भूमि	कुल किता	कुल रकबा
	महेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र कल्याण सहाय गुर्जर जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 8977/1433/1 रकबा 0.0768 है0	01	0.0768 है0

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

	प्रेम देवी पत्नी बाबूलाल, कृष्ण, मोहित पुत्रान बाबुलाल, मन्जू पुत्री बाबुलाल हि0 385/5136 जाति गुर्जर, नाथी पत्नी नानगराम, मामराज पुत्र नानगराम हि0 110/1284, फूलचन्द, बालूराम, राजू पुत्रान सेडूराम हि0 385/2568, बद्रीनारायण पुत्र घीसाराम हि0 385/2568, मालीराम, शंकरलाल, सुल्तान पुत्रान श्योलाल हि0 385/2568, सुवालाल पुत्र परता हि0 385/5136 सा0 देह, गजानन्द, मालीराम पुत्रान छीतर हि0 308/1284 जाति खाती निवासी भूरानपुरा, मूलचन्द पुत्र जगनाथ हि0 192/2568 अहीर निवासी भूरानपुरा खातेदार	आराजी खसरा नंबर 8977/1433/2 रकबा 0.1284 है0	01	0.1284 है0
		योग	02	0.2052 है0

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/3/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, **R.A.S**)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 125 / 2024

उनवान

1. महेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सहाय, जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर
2. गजानन्द पुत्र छीतर जांगिड जाति खाती निवासी भूरानपुरा, तह. आमेर
3. नाथी देवी पत्नि स्व0 नानगराम जाति गुर्जर
4. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर
5. फूलचन्द पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
6. बद्रीनारायण पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर
7. बालूराम पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
8. मंजू पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर
9. मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर निवासी भूरानपुरा तह0 आमेर जयपुर
10. मामराज पुत्र नानगराम जाति गुर्जर
11. मालीराम पुत्र छीतर जाति खाती निवासी भूरानपुरा तह0 आमेर जयपुर
12. मालीराम पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
13. मोहित पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर
14. राजू पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर
15. शंकर लाल पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
16. सुल्तान पुत्र श्योलाल जाति गुर्जर
17. सुवालाल पुत्र परता जाति गुर्जर

समस्त निवासीयान ग्राम मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर।

18. उपपंजीयक–शाहपुरा मनोहरपुर,तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज